न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 47/2021 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/88

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. सम्वत् 2070 मे ओलावृष्टि से हुए नुकसान की मुआवजा राशि खं0न0 हाल 261,262,263,264 कितनी बन कर आई एवं सम्वत् 3067—70 मे खाता संख्या की जानकारी दिलवायी जावे।
2. ख0न0 हाल 348,349 मे सम्वत् 2070 में ओलावृष्टि से नुकसान की राशि एवं खाता संख्या की जानकारी दी जावे।
3. ख0न0 117,119 सम्वत् 2017 के है इनके हाल ख0न0 एवं खातेदारो के नाम तथा सम्वत् 2070 मे आलोवृष्टि से नुकसान की सरकार द्वारा देय राशि खाता संख्या की सत्य जानकारी की कृपा करे।
4. उक्त नम्बरों की कृषि भूमि मे सम्वत् 2070 मे आलोवृष्टि से हुए नुकसान का सरकार द्वारा देय मुआवजा अब कहा है की जानकारी दिलाने की कृपा करे।
5. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के पत्र कमांक 1768—1818 दिनांक 28.2.2014 की सत्यप्रति दिलावे।
6. दोषपूर्ण खातेदारी मे अटकी राशि ओलावृष्टि से नुकसान की प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिजनो की है जिसको राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेकर दिलाने की नियमानुसार कोई कार्यवाही हो तो जानकारी दिलाने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक भू.अ./2021/1575 दिनांक 22.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.42021 मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जवाब नोटिस से अवगत कराया है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मय पोस्टल आर्डर तहसील कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ था। अपील के नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे जिन ख0न0 नम्बरान के संबंध मे सूचना चाही गयी है उनमे ग्राम का नाम अंकित नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। बिन्दु संख्या 5 पर चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही तथा बिन्दु संख्या 6 पर दोषपूर्ण खातेदारी पर मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही हेतु लिखा है जो तहसील कार्यालय स्तर पर सम्भव नही है। जिसके संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस [illegible] अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत [illegible] प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में चाही गयी सूचना [illegible] से है इसलिए बिन्दु [illegible] 1 से 4 के साथ साथ बिन्दु संख्या 5 लगायत 6 से संबंधित [illegible]ना 15 दिवस में अप[illegible]को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर